प्रकरण संख्या 05/19 2019/00005 रजू दिनांक 28.01.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

उनवान

लाखन सिंह मीना पुत्र श्री परिमल सिंह मीना, निवासी ग्राम पंचायत बाटदा, तहसील मण्डरायल जिला करौली(राज0) – अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, करौली (राज.) – प्रत्यर्थी

उपस्थिति– 1. श्री नवल किशोर शर्मा, एडवोकेट
2.. श्री अमित कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, मण्डरायल
3. श्री हरविन्द्र शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक

अपील अन्तर्गत धारा 22, राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ का विनिमय आदेश 1976 विरुद्ध जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2017 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2019

निर्णय

दिनांक–26.08.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 18.07.2017 के विरुद्ध यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवं विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ग्राम पंचायत बाटदा, तहसील मण्डरायल, जिला करौली के 1/2 भाग की उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है एवम् अपीलार्थी बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से वर्ष 2006 से ग्राम पंचायत बाटदा के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। प्राधिकार पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत है। राजनैतिक रंजिशवश माननीय सदस्य विधानसभा लालसोट द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उच्चस्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा दिनांक 16.03.2017 से 18.03.2017 तक अपीलार्थी की दुकान की जांच की गई एवं जांच के लगभग दो महीने पश्चात् जिला रसद अधिकारी करौली ने अपने आदेश दिनांक 09.05.2017 द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निलंबित किया एवं तत्पश्चात् 31.05.2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसका उचित एवं विस्तृत जवाब मय साक्ष्य अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.06.2017 को प्रस्तुत कर दिया। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.06.2017 को कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली के लिपिक द्वारा खाली ऑर्डरशीट पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये एवं अपीलार्थी को आगामी तारीख पेशी बाबत् बाद में सूचित करने के लिये कहा, लेकिन अपीलार्थी द्वारा कई बार जिला रसद अधिकारी, करौली कार्यालय में आगामी तारीख पेशी बाबत् जानकारी चाही गई, लेकिन कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपीलार्थी को कोई जानकारी व संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया एवं दिनांक 18.07.2017 को अपीलार्थी को बिना सूचित किये ही अपने आदेश दिनांक 18.07.2017 द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया जिसकी ना तो अपीलार्थी को कोई सूचना दी गई एवं ना ही उक्त आदेश की तामील अपीलार्थी को करवाई गई। प्राधिकार पत्र के निलंबन के 90 दिवस से अधिक हो जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 09.08.2017 को याचिका प्रस्तुत की, जिसकी कॉपी विभागीय अधिवक्ता को उपलब्ध करवा दी गई एवं विभागीय अधिवक्ता की उपस्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा याचिका की सुनवाई की जाकर अपने आदेश दिनांक 21.08.2017 द्वारा अपीलार्थी की याचिका को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि

जिला कलक्टर
करौली

जिला रसद अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करवा दी गई। तत्पश्चात् जिला रसद अधिकारी करौली कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया कि अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को दिनांक 18.07.2017 को ही निरस्त किया जा चुका है जिसको सुनकर अपीलार्थी को काफी आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली की नकल मय आदेशिकाओं सहित प्राप्त की जिसकी आदेशिकाओं के प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 बैक डेट में पारित किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आदेशिका दिनांक 06.06.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा अपीलार्थी से खाली ऑर्डरशीट पर हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात् इबारत लिखी गई एवं उसके पश्चात् दिनांक 19.06.2017 की ऑर्डरशीट पर भी ओवरराईटिंग की हुई है एवं उक्त ऑर्डरशीट के पश्चात् किसी भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं जबकि प्रत्येक आदेशिका के पश्चात् पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है लेकिन चूंकि उक्त चारों दिनांक की आदेशिकायें एक साथ लिखी गई हैं, जिसके कारण आदेशिका दिनांक 19.06.2017 पर किसी भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, जो इस बात को बखूबी सिद्ध करता है कि उक्त आदेशिकायें बैक डेट में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात् की गई हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आदेशिका दिनांक 29.06.2017 पर किये गये तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली के हस्ताक्षर की स्टाइल एवं बनावट भी प्रथम दृष्टया भिन्न प्रतीत होती है जो कि संदेहास्पद है, जिससे यह प्रथम दृष्टया साबित है कि उक्त विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 राजनीतिक दबाव के कारण बैक डेट में जारी किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा राजनैतिक दबाव के कारण आनन–फानन में प्रार्थी की दुकान की जांच की गई है, जबकि यहां यह उल्लेखनीय है कि जांच दल द्वारा ना तो रसद सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया एवं ना ही उचित माप–तोल की गई, केवल मात्र अंदाजन से स्टॉक की गणना की गई। बावजूद इसके जांच दल द्वारा राजनैतिक दबाव के कारण अनावश्यक रूप से बिना किसी स्पष्ट एवं ठोस निष्कर्ष के डीलर को दोषी माना गया एवं जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा बिना अपना विवेक का उचित इस्तेमाल किये एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव को कन्सीडर किये बिना ही बैक डेट में उक्त विवादित आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी इस एकमात्र रोजगार के साधन द्वारा अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। अपीलार्थी द्वारा स्टॉक एवं वितरण के समस्त रजिस्टर जांच दल के समक्ष प्रस्तुत कर देने तथा जांच रिपोर्ट में कालाबाजारी एवं रसद सामग्री के दुरुपयोग संबंधित कोई ठोस निष्कर्ष अंकित नहीं होने के बावजूद अपीलार्थी को मेजर पैनल्टी से दण्डित किया गया है जो कि न्यायोचित नहीं है। विभागीय परिपत्र दिनांक 25.03.1994 के द्वारा भी छोटे मोटे तकनीकी आधारों पर डीलर के विरुद्ध मुकदमा नहीं बनाने हेतु निर्देशित किया गया है। अंत में अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवं विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ग्राम पंचायत बाटदा, तहसील मण्डरायल, जिला करौली के 1/2 भाग की उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है एवम् अपीलार्थी बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से वर्ष 2006 से ग्राम पंचायत बाटदा के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। राजनैतिक रंजिशवश माननीय सदस्य विधानसभा लालसोट द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उच्चस्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा दिनांक 16.03.2017 से 18.03.2017 तक अपीलार्थी की दुकान की जांच की गई एवं जांच के लगभग दो महीने पश्चात् जिला रसद अधिकारी

जिला कलक्टर
करौली

करौली ने अपने आदेश दिनांक 09.05.2017 द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निलंबित किया एवं तत्पश्चात् 31.05.2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसका उचित एवं विस्तृत जवाब मय साक्ष्य अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.06.2017 को प्रस्तुत कर दिया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.06.2017 को प्रस्तुत जबाव में अंकित किया था कि अपीलार्थी द्वारा सितंबर 2016 से मई 2017 तक 521.48 क्विं गेंहूं का उठाव किया गया एवं 1.85 क्विं. गेंहूं माह अगस्त 2016 के पेटे शेष था। इस प्रकार प्रार्थी के पास मई 2017 तक 523.33 क्विं. का उठाव किया गया जिसमें से प्रार्थी द्वारा मई 2017 तक 523.33 क्विं. गेंहूं का वितरण पोस मशीन व रजिस्टर से कर दिया गया। मई 2017 तक 6000 लीटर केरोसीन का उठाव किया गया जिसमें से 5980 लीटर केरोसीन का वितरण पोस मशीन एवं वितरण रजिस्टर से कर दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के पास 20 लीटर केरोसीन शेष रहा जो प्रार्थी के पास स्टॉक में मौजूद है। इसके अलावा जांच दल को मांगा गया रिकॉर्ड वितरण रजिस्टर, प्राधिकार पत्र की फोटो प्रति इत्यादि उपलब्ध करवाना, पीडीएस ऑर्डर 2001 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम विनियमन आदेश 1976 के तहत समस्त सूचनाओं का प्रदर्शन नोटिस बोर्ड पर नियमित रूप से किया जाना, जांच दल को एनएफएसए की सूची एवं यूनिट रजिस्टर आदि उपलब्ध करवा दिये थे। दिनांक 06.06.2017 को कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली के लिपिक द्वारा खाली ऑर्डरशीट पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये एवं अपीलार्थी को आगामी तारीख पेशी बाबत् बाद में सूचित करने के लिये कहा, लेकिन अपीलार्थी द्वारा कई बार जिला रसद अधिकारी, करौली कार्यालय में आगामी तारीख पेशी बाबत् जानकारी चाही गई, लेकिन कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपीलार्थी को कोई जानकारी व संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया एवं दिनांक 18.07.2017 को अपीलार्थी को बिना सूचित किये ही अपने आदेश दिनांक 18.07.2017 द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया जिसकी ना तो अपीलार्थी को कोई सूचना दी गई एवं ना ही उक्त आदेश की तामील अपीलार्थी को करवाई गई। प्राधिकार पत्र के निलंबन के 90 दिवस से अधिक हो जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 09.08.2017 को याचिका प्रस्तुत की, जिसकी कॉपी विभागीय अधिवक्ता को उपलब्ध करवा दी गई एवं विभागीय अधिवक्ता की उपस्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा याचिका की सुनवाई की जाकर अपने आदेश दिनांक 21.08.2017 द्वारा अपीलार्थी की याचिका को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जिला रसद अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करवा दी गई। तत्पश्चात् जिला रसद अधिकारी करौली कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया कि अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को दिनांक 18.07.2017 को ही निरस्त किया जा चुका है। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली की नकल मय आदेशिकाओं सहित प्राप्त की जिसकी आदेशिकाओं के प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 बैक डेट में पारित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आदेशिका दिनांक 06.06.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा अपीलार्थी से खाली ऑर्डरशीट पर हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात् इबारत लिखी गई एवं उसके पश्चात् दिनांक 19.06.2017 की ऑर्डरशीट पर भी ओवरराईटिंग की हुई है एवं उक्त ऑर्डरशीट के पश्चात् किसी भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं जबकि प्रत्येक आदेशिका के पश्चात् पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है लेकिन चूंकि उक्त चारों दिनांक की आदेशिकायें एक साथ लिखी गई हैं, जिसके कारण आदेशिका दिनांक 19.06.2017 पर किसी भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, जो इस बात को बखूबी सिद्ध करता है कि उक्त आदेशिकायें बैक डेट में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात् की गई हैं। आदेशिका दिनांक 29.06.2017 पर किये गये तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली के हस्ताक्षर की स्टाइल एवं बनावट भी प्रथम दृष्टया भिन्न प्रतीत होती है जो कि संदेहास्पद है, जिससे यह प्रथम दृष्टया साबित है कि उक्त विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 राजनीतिक दबाव के कारण बैक डेट में जारी किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा राजनैतिक दबाव के कारण आनन–फानन

जिला कलक्टर
करौली

में प्रार्थी की दुकान की जांच की गई है, जबकि यहां यह उल्लेखनीय है कि जांच दल द्वारा ना तो रसद सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया एवं ना ही उचित माप–तोल की गई, केवल मात्र अंदाजन से स्टॉक की गणना की गई। बावजूद इसके जांच दल द्वारा राजनैतिक दबाव के कारण अनावश्यक रूप से बिना किसी स्पष्ट एवं ठोस निष्कर्ष के डीलर को दोषी माना गया एवं जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा बिना अपना विवेक का उचित इस्तेमाल किये एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव को कन्सीडर किये बिना ही बैक डेट में उक्त विवादित आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। विभागीय परिपत्र दिनांक 25.03.1994 के द्वारा भी छोटे मोटे तकनीकी आधारों पर डीलर के विरुद्ध मुकदमा नहीं बनाने हेतु निर्देशित किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि जिला रसद अधिकारी (सतर्कता), उदयपुर संभाग के नेतृत्व में गठित जांच दल द्वारा दिनांक 17.03.2017 को श्री लाखनसिंह, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत बाटदा तहसील मण्डरायल की उचित मूल्य दुकान की जांच की गई। श्री मीना के पास वक्त जांच मुताबिक रिकॉर्ड वक्त जांच 66.10 क्विं. गेहूं होना चाहिये था लेकिन भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर 56 क्विं. गेंहूं पाया गया जो मुताबिक रिकॉर्ड 10.10 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। डीलर को अक्टूबर 2016 से वक्त जांच तक प्राप्त केरोसीन एवं पोस मशीन से वितरित केरोसीन की ऑडिट करने पर वक्त जांच 458 लीटर केरोसीन होना चाहिये था जबकि डीलर के रिकॉर्ड में 114 लीटर केरोसीन दर्ज पाया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा 344 लीटर केरोसीन को दर्ज ही नहीं किया गया एवं मौके पर केरोसीन नहीं पाया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा 458 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग किया गया। वक्त जांच डीलर द्वारा मूल प्राधिकार पत्र, ब्ल्यू प्रिण्ट, पिछले माहों की मासिक रिटर्न, पिछले एक वर्ष का स्टॉक व वितरण रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करना, दुकान पर पीडीएस ऑर्डर 2001 के अनुसार सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं करना, खाद्य सुरक्षा ई–सूची एवं यूनिट रजिस्टर दुकान पर संधारित उपलब्ध नहीं पाये गये। वक्त जांच अपीलार्थी श्री लाखनसिंह मीना का भाई एवं कार्यकर्ता श्री मानसिंह मीना भी उपस्थित था जिसकी उपस्थिति की में अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच की गई थी एवं निरीक्षण के दौरान ही निरीक्षण प्रपत्र भरकर फर्द मौका तैयार किया गया था जिस पर अपीलार्थी के भाई के हस्ताक्षर भी हैं। इसलिये अपीलार्थी का यह आरोप कि बिना माप तौल किये ही अंदाजन से रिपोर्ट तैयार की गई है, गलत है। इस प्रकार अपीलार्थी की दुकान पर उक्त अनियमिततायें पाये जाने पर आदेश क्रमांक 3012–17 दिनांक 09.05.2017 द्वारा श्री लाखन सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बाटदा के प्राधिकार पत्र को निलंबित कर सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरांत आदेश दिनांक 18.07.2017 द्वारा अपीलार्थी डीलर के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज कराई गई। अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 35/2017 थाना लांगरा में भी अभी तक अंतिम निर्णय पारित नहीं हुआ है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। खाद्य विभाग के पत्र क्रमांक एफ.77(1)खा.वि./सत./करौली/2017 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा दिनांक 17.03.2017 को अपीलार्थी के भाई एवं कार्यकर्ता मानसिंह मीना तथा अन्य गवाहों की उपस्थिति में अपीलार्थी की राशन दुकान का निरीक्षण किया गया था एवं स्टॉक रजिस्टर केरोसीन, गेंहूं वक्त जांच साक्ष्य हेतु लिये गये थे। जांच रिपोर्ट दिनांक 17.03.2017 के अनुसार मुताबिक रिकॉर्ड वक्त जांच 66.10 क्विं. गेंहूं की अपेक्षा 56 क्विं. गेंहूं तथा 458 लीटर केरोसीन की अपेक्षा शून्य लीटर केरोसीन भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया। इस प्रकार 10.10 क्विं. गेंहूं एवं 458 लीटर केरोसीन कम पाया गया। यहां तक कि डीलर के स्टॉक में 114 लीटर केरोसीन ही दर्ज पाया गया। डीलर द्वारा 344 लीटर केरोसीन को दर्ज ही नहीं किया गया। उक्त अनियमितताओं को निरीक्षण कमेटी ने गंभीर अनियमितताएं एवं प्रथम द्रष्टया गबन का मामला माना है। डीलर द्वारा वक्त जांच मूल प्राधिकार पत्र, पिछले माहों की मासिक रिटर्न, पिछले एक वर्ष का स्टॉक एवं वितरण रिकॉर्ड जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। दुकान पर पीडीएस ऑर्डर 2001 के अनुरूप सूचनाओं का

जिला कलक्टर
करौली

प्रदर्शन नहीं किया जाना तथा दुकान पर एनएफएसए की ई–सूची एवं यूनिट रजिस्टर का संधारण उपलब्ध नहीं पाये गये। उक्त अनियमितताएं पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपीलार्थी राशन डीलर के प्राधिकार पत्र को निलंबित किया गया एवं अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.06.2017 को स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलार्थी द्वारा माह अगस्त 2016 के शेष 1.85 क्विं. सहित माह सितंबर 2016 से मई 2017 तक उठाये गये 523.33 क्विं. गेंहूं का वितरण पोस मशीन एवं वितरण रजिस्टर से तथा मई 2017 तक उठाये गये 6000 लीटर केरोसीन में से 5980 लीटर केरोसीन का वितरण करना, शेष 20 लीटर केरोसीन का स्टॉक में मौजूद होना, समस्त रिकॉर्ड जांच दल को उपलब्ध करवाया जाना, पी.डी.एस. ऑर्डर 2001 के अनुरूप सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाना आदि बताया था लेकिन यह जांच दिनांक 17.03.2017 को हुई थी जिस पर कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई बाबत् नोटिस जारी किया गया था। अपीलार्थी द्वारा अपने जवाब में दिनांक 17.03.2017 को कम पायी गई राशन सामग्री 10.10 क्विं. गेंहूं एवं 458 लीटर केरोसीन के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा अपने जवाब में कुछ भी नहीं लिखा गया। मई 2017 तक सम्पूर्ण राशन सामग्री का वितरण इस जांच रिपोर्ट के बाद होने वाली कार्यवाही से बचने के लिए किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब 17.03.2017 को अपीलार्थी की राशन दुकान पर 10.10 क्विं. गेंहूं एवं 458 लीटर केरोसीन उपलब्ध ही नहीं था तो मई 2017 तक उसका वितरण कैसे हो गया? अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.03.2017 को वक्त जांच कम पाये गये 10.10 क्विं. गेंहूं एवं 458 लीटर केरोसीन तथा दर्ज नहीं किये गये 344 लीटर केरोसीन के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाना भी वक्त जांच भौतिक सत्यापन करने पर 10.10 क्विं. गेंहूं कम पाया जाना, 458 लीटर केरोसीन का नहीं पाया जाना तथा 344 लीटर केरोसीन को रजिस्टर में दर्ज नहीं किये जाने की अपीलार्थी की स्वीकारोक्ति को दर्शाता है जो गंभीर अनियमितता है जबकि खाद्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.03.1994 छोटी–मोटी तकनीकी कमियों के आधार पर मेजर दण्ड नहीं दिये जाने से संबंधित है जो इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है। अपीलार्थी श्री लाखनसिंह मीना के भाई एवं कार्यकर्ता श्री मानसिंह मीना की उपस्थिति में अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच की गई थी एवं निरीक्षण प्रपत्र भरकर फर्द मौका तैयार किया गया था जिस पर अपीलार्थी के भाई के हस्ताक्षर भी हैं। इसलिये जांच दल द्वारा बिना माप–तौल किये राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन किये जाने का आरोप गलत विदित होता है। अतः हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.07.2017 को यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली